2.1.1
2.1.2

बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)

Seat Distribution (Year 2022-23)

Class	ST 32%	SC 12%	OBC 14%	FF 3%	PWD 5%	GEN 34%	TOTAL
B.A.-I	106 (32)	40 (12)	46 (14)	10 (3)	16 (5)	112 (33)	**330 (99)**
B.SC-I (BIO)	96 (29)	36 (11)	42 (12)	9 (3)	15 (5)	102 (30)	**300 (90)**
B.SC-I (MATHS)	48 (14)	18 (6)	21 (6)	4 (1)	8 (2)	51 (16)	**150 (45)**
B.SC-I (I.T.)	25 (8)	10 (3)	11 (3)	2 (1)	4 (1)	28 (8)	**80 (24)**
B.SC (H. Sc.)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
B.COM-I	80 (24)	30 (9)	35 (11)	8 (2)	12 (4)	85 (25)	**250 (75)**
B.COM-I (COMPUTER)	19 (6)	7 (2)	9 (3)	2 (0)	3 (1)	20 (6)	**60 (18)**
LL.B-I	25 (8)	10 (3)	11 (3)	2 (1)	4 (1)	28 (8)	**80 (24)**
BCA-I	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A. (HINDI)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A. (POL.SC.)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A. (ECONOMICS)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A.(GEOGRAPHY)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A. (HISTORY)	10 (3)	4 (1)	4 (1)	1 (0)	1 (0)	10 (4)	**30 (9)**
M.SC. (CHEMISTRY)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.SC. (MATHS)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.SC. (Physics)	10 (3)	4 (1)	4 (1)	1 (0)	1 (0)	10 (4)	**30 (9)**
M.SC. (Zoology)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.SC. (IT)	10 (3)	4 (1)	4 (1)	1 (0)	1 (0)	10 (4)	**30 (9)**
M.SC.(HOME SC.)	6	2	3	1	1	7	**20**
M.COM	16 (5)	6 (2)	7 (2)	1 (0)	3 (1)	17 (5)	**50 (15)**
PGDCA	32 (9)	12 (4)	14 (4)	3 (1)	5 (2)	34 (10)	**100 (30)**
DCA	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A.-English	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A.-Sociology	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.Sc-Botany	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**

टीप :– कोष्टक में प्रदर्शित अंक आंतरिक महिला आरक्षण की संख्या है।

(डॉ.श्रीदेवी चौबे)
प्र.प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला धमतरी (छ.ग.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक),0771–2262540 (कुलसचिव) फैक्स–0771–2262818, 2262607, ई–मेल academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 1851/अका./2022

रायपुर, दिनांक 18.06.2022

प्रति,

1. अध्यक्ष/संचालक
   समस्त अध्ययनशाला/संस्थान
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
   रायपुर

2. प्राचार्य
   संबद्ध समस्त महाविद्यालय
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
   रायपुर

विषय :– **प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 का प्रेषण।**

संदर्भ:– **अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 2935/760/आउशि/सम./2022 दिनांक 07.06.2022**

महोदय/महोदया,

लेख है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया अपने महाविद्यालय/अध्ययनशाला के समस्त शिक्षकों/कर्मचारियों को इससे अवगत कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 में दिए गए प्रावधानों का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार कुल 16 पृष्ठ।

आदेशानुसार,

16/6/22

कुलसचिव

पृ. क्र. 1852/अका./2022

रायपुर, दिनांक 18.06.2022

प्रतिलिपि :–

1. उप कुलसचिव परीक्षा/सामा.प्रशा./सहायक कुलसचिव गोपनीय विभाग
2. नामांकन/उपाधि प्रकोष्ठ/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक
3. संचालक, महाविद्यालय, विकास परिषद
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

16.6.22

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

शासकीय महाविद्यालय ... रायपुर

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Emall - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

760 / आउशि / सम. / 2022 — नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/06/2022

1. **कुलसचिव**
   समस्त विश्वविद्यालय,छत्तीसगढ़।
2. **प्राचार्य,**
   समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ ।

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण।

अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17–95 / 2017 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.06.2022।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत ज्ये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना यत करें ।

–उपरोक्तानुसार।

त्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

7.6.2022

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

मांक 2936/760/आउशि / सम / 2021 — नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/06/2022

लिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च षिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर / अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

7.6.2022

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

...users\acer\desktop\desktop\desktop\27-10-2017\letter note sheet 2020 (26-03-2)\letter 05-12-2020.docx1129

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
-------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/6/2022

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– आपका प्रस्ताव कमांक 2917/760/761/आउशि/सम./2022 दिनांक 31.05.2022

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2022–23

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत

7117

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2022–23

प्रयुक्ति :–

ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
...टल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :–

सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रकिया में सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नही हुये है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनको संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहें हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढा जावे।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक **"ख"** ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यकम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर

245 (4)

सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :–

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***26 अगस्त*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय महाविद्यालय ... धमतरी.

प्रवेश की पात्रता :–

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यकम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो / गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–

(क) बी.कॉम. / बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) / बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम. / एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी / एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान / अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स्नातकोत्तर *प्रथम वर्ष उत्तीर्ण* आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

धि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस

अनुभाग अधिकारी
शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

वि संकाय नियमित प्रवेश :–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, <u>अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी।</u> तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस

अनुभाग अधिकारी
शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

धमतरी.

कों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया । आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये। ीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की म/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की क्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष ी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र स्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारुप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुंत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–

8.1 *स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 ***विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यकम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष*** में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/**विश्वविद्यालय** शिक्षण विभाग के किसी संकाय में **प्रवेश** प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह माना जावेगा, उसे मात्र मूल

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोडफोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 **प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–**

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक् एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यकमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–**

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय महाविद्यालय ... धमतरी

स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 **प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–**

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक् एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–**

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय महाविद्यालय ... धमतरी

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत
सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के
साथ–साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में
पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता
के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र
विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क),
(ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे
अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण
उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम
सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का
प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के
प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख)
तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे ।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

25

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने	05 प्रतिशत

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय महाविद्यालय ... धमतरी

253 (8)

वाले विद्यार्थी को

(छ) राज्यपाल स्काउट्स — 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक — 10 प्रतिशत

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :-**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-**

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

शोध छात्र :—

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य द्वारा समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 **विशेष :—**

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय महाविद्यालय ... (stamp)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 290/ 10/आउशि/योजना/2020-21 अटल नगर, दिनांक 25/03/2022

प्रति,

समस्त प्राचार्य
संबंधित शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषयः– मुख्य बजट 2020–21 में प्रावधानित 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तथा 21 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु पदों के सृजन की सहमति बावत्।

संदर्भः– छ.ग.शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय से प्राप्त आदेश क्र. एफ 3–37/2020/38–1 दिनांक 23/03/2022

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश द्वारा मुख्य बजट 2020–21 में प्रावधानित 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु 25 पद तथा 21 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु 49 पद कुल–74 पदों के सृजन की सहमति प्रदान की गई है।

2/ पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या	
			स्नातक स्तर पर	स्नातकोत्तर स्तर पर
1	प्राध्यापक	अकादमिक लेवल–13A	----	22
2	सहायक प्राध्यापक	अकादमिक लेवल–10	21	03
3	प्रयोगशाला तकनीशियन	लेवल–6	02	12
4	प्रयोगशाला परिचारक	लेवल–3	02	12
	योग		25	49

3/ प्रदेश के 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	मांग संख्या	नवीन विषय/संकाय का नाम	सीट संख्या	पद संख्या			
					सहायक प्राध्यापक	प्रयोग. तक.	प्रयोग. परि.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या पी.जी. महा. दुर्ग	44	बी.एस.सी. (कम्प्युटर साईस)	60	1	1	1	3
			बी.काम (कम्प्युटर एप्लीकेशन)	60	1	0	0	1
2	शासकीय महा. कला एवं विज्ञान महा. पाटन, जिला–दुर्ग	44	बी.एस.सी. (गणित, भूगोल)	60	2	0	0	2
3	शासकीय कमला देवी राठी महिला पी.जी. महा. राजनांदगाव	44	बी.एस.सी. (गणित, वनस्पति)	30	2	0	0	2

4	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर पी.जी. स्वशासी महा. दुर्ग	44	बी.एस.सी. (गणित, वनस्पति)	40	2	0	0	2
5	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महावि. महासमुन्द	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	1	0	0	1
6	शासकीय ई.राघवेन्द्र राव पी.जी. विज्ञान महावि. बिलासपुर	44	बी.एस.सी. बायोलाजी (क्लीनिकल न्यूट्रीशियन एवं डायटेटिक्स)	40	1	0	0	1
7	शासकीय पी.जी.महावि. खरसिया, जिला–रायगढ	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	2	0	0	2
8	शासकीय महावि. छूरिया जिला–राजनांदगाव	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	1	0	0	1
9	शासकीय पी.जी. महावि. डोगरगढ़	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	1	0	0	1
10	शासकीय पी.जी. महावि. डोगरगांव	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	1	0	0	1
11	शासकीय नवीन महा. मोहला जिला–राजनांदगाव	41	बी.ए. (हिन्दी साहित्य)	-	1	0	0	1
12	शासकीय महा. जनकपुर जिला कोरिया	41	बी.ए. (अर्थशास्त्र)	-	1	0	0	1
13	शासकीय महा. पटना, जिला–कोरिया	41	बी.सी.ए.	30	1	0	0	1
14	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय कोरबा	41	बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस)	60	1	1	1	3
15	शासकीय महाविद्यालय कोण्डागांव	41	बी.सी.ए.	30	1	0	0	1
16	शासकीय टी.सी.एल. पी.जी. महावि. जॉजगीर	64	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	1	0	0	1
	कुल				21	2	2	25

1. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 01 से 10 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–44–मुख्य शीर्ष उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0101–राज्य आयोजना सामान्य–(103)–सरकारी कॉलेज और संस्थायें–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत के विकलनीय होगा।

2. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 11 से 15 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–41–मुख्यशीर्ष उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–(103)–सरकारी कालेज और संस्थायें–798–कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 16 के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–64–अनुसूचित जाति उपयोजना–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0103–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–(103)–सरकारी कालेज और संस्थाये–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

4/ प्रदेश के 21 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	मांग संख्या	नवीन विषय/संकाय का नाम	सीट संख्या	पद संख्या				
					प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	प्रयोग. तक.	प्रयोग. परि.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	शासकीय कला एवं वाणिज्य महा. कोहका–नेवरा, रायपुर	44	एम.ए. (राजनीति विज्ञान)	40	1	1	0	0	2
2	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पी.जी. महा. बालोद	44	एल.एल.एम.	20	1	0	0	0	1

3	शासकीय महा. चोरी, जिला–दुर्ग	44	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)	20	1	0	1	1	3
4	शासकीय जे.एम.पी. महा. तखतपुर	44	एम.एस.सी. (गणित)	20	1	0	1	1	3
5	शासकीय मिनी माता कन्या महा. बलौदा बाजार	44	एम.एस.सी. गृह विज्ञान (आहार एवं पोषण)	25	1	0	1	1	3
6	शासकीय महा. अभनपुर	44	एम.कॉम.	30	1	1	0	0	2
7	शासकीय महा. रवली	44	एम.एस.सी. (प्राणीशास्त्र)	30	1	0	1	1	3
			एम.एस.सी. (वनस्पतिशास्त्र)	30	1	0	1	1	3
8	शासकीय अग्रसेन महा. बिल्हा जिला–बिलासपुर	44	एम.एस.सी. (वनस्पतिशास्त्र)	25	1	1	1	1	4
9	शासकीय बी.सी.एस.पी.जी. महाविद्यालय धमतरी	44	एम.ए. (अंग्रेजी)	40	1	0	0	0	1
10	शासकीय महाविद्यालय मस्तूरी	44	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)	20	1	0	1	1	3
11	शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव जिला–जशपुर	44	एम.ए. (राजनीतिशास्त्र)	30	1	0	0	0	1
12	शासकीय दू.ब. महिला पी.जी. महाविद्यालय रायपुर	44	पी.जी. डिप्लोमा इन रिसर्च मेथेडोलाजी एण्ड स्टैटिस्टीक एनालिसिस	15	1	0	1	1	3
13	शासकीय महावि. डभरा, जिला–जांजगीर, चांपा	44	एम.ए. (समाजशास्त्र)	30	1	0	0	0	1
14	शासकीय महाविद्यालय सिमगा	44	एम.एस.सी. (गणित)	20	1	0	0	0	1
15	शासकीय ई.राघवेन्द्र राव पी.जी. विज्ञान महावि. बिलासपुर	44	एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईस)	30	1	0	1	1	3
16	शासकीय पी.जी. महावि. जगदलपुर	44	एम.ए. (लोकप्रशासन)	20	1	0	0	0	1
17	शासकीय महा. जनकपुर	41	एम.ए. (राजनीति शास्त्र)	20	1	0	0	0	1
18	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय नारायणपुर	41	एम.एस.सी (रसायनशास्त्र)	20	1	0	1	1	3
19	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय कोरबा	41	एम.ए. (भूगोल)	30	1	0	0	0	1
20	शासकीय कन्या पी.जी. महाविद्यालय जशपुर	41	एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईस)	30	1	0	1	1	3
21	शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ जिला–जांजगीर चापा	64	एम.एस.सी. (प्राणीशास्त्र)	40	1	0	1	1	3
	कुल				22	3	12	12	49

1. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 01 से 16 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–44–मुख्य शीर्ष उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0101–राज्य आयोजना सामान्य–(103)–सरकारी कॉलेज और संस्थायें–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत के विकलनीय होगा।

2. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 17 से 20 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–41–मुख्यशीर्ष उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–(103)–सरकारी कालेज और संस्थायें–798–कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 21 के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–64–अनुसूचित जाति उपयोजना–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0103–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–(103)–सरकारी कालेज और संस्थाये–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

/ उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जवाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को ई-मेल अथवा विशेष वाहक के हस्ते सूचित करेगें।

6/ जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्ववित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2022-23 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी अथवा स्ववित्तीय व्यवस्था को तत्काल बंद किया जायेगा।

7/ उपरोक्त सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2022-38-00203, दिनांक **21.03.2022** अनुसार दी गई है।

25.3.2022

संलग्न– संदर्भानुसार

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, दिनांक / /2022

पृ.क्रमांक / /आउशि/योजना/2020-21
प्रतिलिपिः-

1. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सहायक, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. शीघ्रलेखक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
4. राजपत्रित स्थापना शाखा/अराजपत्रित स्थापना शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आदेश फोल्डर।

Sd/-
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय

शासकीय महाविद्यालय धमतरी.

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर
email : higher-education@cg.gov.in

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 23 MAR 2022

क्रमांक एफ 3–37/2020/38–1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु 25 पद एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 49 पद, कुल 74 पदों के सृजन की सहमति दी जाती है।

2/ पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	वेतन मेट्रिक्स	पद संख्या	
			स्नातक स्तर पर	स्नातकोत्तर स्तर पर
1	प्राध्यापक	अकादमिक लेवल–13 A	---	22
2	सहायक प्राध्यापक	अकादमिक लेवल–10	21	03
3	प्रयोगशाला तकनीशियन	लेवल–6	02	12
4	प्रयोगशाला परिचारक	लेवल–3	02	12
	योग		25	49

3/ प्रदेश के 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	मांग संख्या	नवीन विषय/संकाय का नाम	सीट संख्या	पद संख्या			
					सहायक प्राध्यापक	प्रयोग तक.	प्रयोग परि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या पी.जी. महा. दुर्ग	44	बी.एस.सी (कम्प्यूटर साईंस)	60	1	1	1	3
			बी.कॉम (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)	60	1	0	0	1
2	शासकीय महा. कला एवं विज्ञान महा. पाटन, जिला–दुर्ग	44	बी.एस.सी (गणित, भूगोल)	60	2	0	0	2
3	शासकीय कमला देवी राठी महिला पी.जी. महा. राजनांदगाव	44	बी.एस.सी. (गणित, वनस्पति)	30	2	0	0	2
4	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर पी.जी. स्वशासी महा. दुर्ग	44	बी.एस.सी (गणित, वनस्पति)	40	2	0	0	2
5	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महावि. महासमुन्द	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	–	1	0	0	1

शासकीय महाविद्यालय धमतरी

6	शासकीय ई.राघवेन्द्र राव पी जी विज्ञान महावि बिलासपुर	44	बी.एस.सी माइक्रोबायोलॉजी (क्लीनिकल न्यूट्रीशियन एवं डायटेटिक्स)	40	1	0	0	1
7	शासकीय पीजी महावि खरसिया जिला–रायगढ़	44	बीए (लोक प्रशासन)	–	2	0	0	2
8	शासकीय महावि घुमका जिला राजनांदगांव	44	बीए (लोक प्रशासन)	–	1	0	0	1
9	शासकीय पीजी महावि डोंगरगढ़	44	बीए (लोक प्रशासन)	–	1	0	0	1
10	शासकीय पीजी महावि डोंगरगाव	44	बीए. (लोक प्रशासन)	–	1	0	0	1
11	शासकीय नवीन महा. मोहला जिला–राजनादगाव	41	बीए. (हिन्दी साहित्य)	–	1	0	0	1
12	शासकीय महा. जनकपुर जिला कोरिया	41	बीए (अर्थशास्त्र)	–	1	0	0	1
13	शासकीय महा पटना. जिला–कोरिया	41	बीसीए.	30	1	0	0	1
14	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय कोरबा	41	बीएससी. (कम्प्यूटर साईस)	60	1	0	0	1
15	शासकीय महाविद्यालय कोण्डागाव	41	बीसीए.	30	1	1	1	3
16	शासकीय टी.सी.एल पी.जी महावि. जॉजगीर	64	बीए (लोक प्रशासन)	–	1	0	0	1
	कुल				21	2	2	25

1. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 01 से 10 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–44–मुख्य शीर्ष उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0101–राज्य आयोजना सामान्य– (103)–सरकारी कॉलेज और संस्थायें–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत के विकलनीय होगा।

2. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 11 से 15 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–41–मुख्यशीर्ष उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–(103)–सरकारी कालेज और संस्थायें–798–कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा ।

3. शासर्कीय महाविद्यालय क्रमांक 16 के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–64–अनुसूचित जाति उपयोजना–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0103–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–(103)–सरकारी कालेज और संस्थाये–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा ।

शासकीय महाविद्यालय ... धमतरी

4. प्रदेश के 20 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है

क्र.	महाविद्यालय का नाम	[illegible] संख्या	नवीन विषय/संकाय का नाम	सीट संख्या	पद संख्या				
					प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	प्रयोग. तक.	प्रयोग. परि.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[illegible]	44	[illegible]	40	1	1	0	0	2
2	[illegible]	44	[illegible]	20	1	0	0	0	1
3	[illegible]	44	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)	20	1	0	1	1	3
4	[illegible]	44	एम.एस.सी. (गणित)	20	1	0	1	1	3
5	शासकीय मिनी माता कन्या महा. कोरबा	44	एम.एस.सी. गृह विज्ञान (आहार एवं पोषण)	25	1	0	1	1	3
6	शासकीय महा. अभनपुर	44	एम.कॉम	30	1	1	0	0	2
7	शासकीय महा. [illegible]	44	एम.एस.सी. (प्राणिशास्त्र)	30	1	0	1	1	3
			एम.एस.सी. (वनस्पतिशास्त्र)	30	1	0	1	1	3
8	शासकीय [illegible] महा. बिल्हा जिला बिलासपुर	44	एम.एस.सी. (वनस्पतिशास्त्र)	25	1	1	1	1	4
9	शासकीय बी.सी.एस. पी.जी. महाविद्यालय धमतरी	44	एम.ए. (अंग्रेजी)	40	1	0	0	0	1
10	शासकीय महाविद्यालय नगरी	44	एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र)	20	1	0	1	1	3
11	शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव जिला जशपुर	44	एम.ए. (राजनीतिशास्त्र)	30	1	0	0	0	1
12	शासकीय दू.ब. महिला पी.जी. महाविद्यालय रायपुर	44	पी.जी. डिप्लोमा इन रिसर्च मेथडोलॉजी एण्ड स्टेटिस्टीकल एनालिसिस	15	1	0	1	1	3
13	शासकीय महावि. डभरा जिला जांजगीर चांपा	44	एम.ए. (समाजशास्त्र)	30	1	0	0	0	1
14	शासकीय महाविद्यालय [illegible]	44	एम.एस.सी. (गणित)	20	1	0	0	0	1
15	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव पी.जी. विज्ञान महावि. बिलासपुर	44	एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस)	30	1	0	1	1	3
16	शासकीय पी.जी. महावि. जगदलपुर	44	एम.ए. (लोकप्रशासन)	20	1	0	0	0	1
17	शासकीय महा. जनकपुर	41	एम.ए. राजनीति शास्त्र	20	1	0	0	0	1
18	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय नारायणपुर	41	एम.एस.सी. (रसायनशास्त्र)	20	[illegible]	0	1	1	3

शासकीय महाविद्यालय धमतरी

[illegible]	शासकीय [illegible] महाविद्यालय [illegible]	41	[illegible]	10	1	0	0	0	1
20	शासकीय कन्या पी.जी. महाविद्यालय [illegible]	41	एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस)	10	1	0	1	1	3
21	शासकीय महाविद्यालय [illegible] जिला [illegible]	64	एम.एस.सी. ([illegible])	40	1	0	1	1	3
		कुल			22	3	12	12	49

1 शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 01 से 16 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या 44 मुख्य शीर्ष उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 0101 राज्य आयोजना सामान्य (103) सरकारी कॉलेज और संस्थायें–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत के विकलनीय होगा।

2 शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 17 से 20 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–41–मुख्यशीर्ष उच्च शिक्षा–2202 सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (103) सरकारी कालेज और संस्थायें–798–कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा ।

3. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 21 के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या–64–अनुसूचित जाति उपयोजना–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0103–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–(103)–सरकारी कालेज और संस्थायें–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा ।

5/ उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जवाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को ई–मेल से अथवा विशेष वाहक के हस्ते सूचित करेंगे।

6/ जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्व–वित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2022–23 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी/स्व–वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बन्द किया जायेगा।

7/ उपरोक्त सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ–2022–38–00203, दिनांक 21.03.2022 अनुसार दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

शासकीय महाविद्यालय धमतरी.

//5//

...एफ 3-37/2019/38-1 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 23 MAR 2022

प्रति

...नीय मंत्री जी के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर।

...सहायक, सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर।

...युक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को प्राप्त ज्ञापन क्रमांक 76/10/आउटो/.../2020-21 दिनांक 17.08.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

...संबंधित प्राचार्य

...ओर सूचनार्थ प्रेषित।

...आर्डर फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

शासकीय महाविद्यालय धमतरी

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 136/27/आउशि/योजना/2022-23 अटल नगर, दिनांक 10/08/2022

प्रति,

समस्त प्राचार्य
संबंधित शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय:- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयो में सत्र 2022-23 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-56/2022/38-1 दिनांक 10.08.2022

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों के निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई है। जो निम्नानुसार है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/संकाय/विषय का नाम	संचालन का प्रकार	प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित सीट संख्या	वृधि हेतु मान्य सीट संख्या	सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या
1	PANDIT DINDAYAL UPADHYAY ARTS AND SCIENCE GOVT. COLLEGE JAVANGA	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	40	20	60
2	GOVT. COLLEGE BHOPALPATNAM	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	40	100
3	DR. BHIMRAO AMBEDKAR GOVT. COLLEGE PAMGARH	बी.ए.	शासन से	90	30	120
		बी.एससी. (गणित समूह)	शासन से	30	10	40
		एम.ए. अंग्रेजी	शासन से	25	15	40
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	30	10	40
4	GOVERNMENT NAVEEN COLLEGE BHAIRAMGARH	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	20	80
5	NAYAK NITYANAND SAI GOVT. COLLEGE AARA	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	शासन से	30	10	40

E:\Planing 2022-23 (for year 2022-23)\Seat Vridhi For 2022-23\Letter- Seat Vridhi 2022-23.docx

महाविद्यालय ... धमतरी

6	GOVT. DANVEER TULARAM P. G COLLEGE UTAI. DIST. DURG. C.G.	बी.ए.	शासन से	225	25	250
		बी.कॉम	शासन से	100	30	130
		बी.एससी. (गणित समूह)	शासन से	95	25	120
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	90	30	120
		बी.एससी. (कम्प्यूटर साईंस)	स्ववित्तीय मद	25	15	40
		बी.एससी. (माइक्रोबायोलॉजी)	स्ववित्तीय मद	30	20	50
		बी.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी)	स्ववित्तीय मद	40	20	60
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	20	20	40
		एम.ए. समाजशास्त्र	स्ववित्तीय मद	20	20	40
		एम.ए. हिन्दी	स्ववित्तीय मद	20	20	40
		एम.ए. अर्थशास्त्र	शासन से	20	20	40
		एम.ए. इतिहास	शासन से	20	20	40
7	MAHANTSHRI RAM JANKI SHARAN DAS VAISHNAV GOVT. COLLEGE PIPARIYA	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय मद	80	40	120
8	GOVT. COLLEGE BHANPURI	एम.एससी. रसायनशास्त्र	शासन से	20	10	30
9	GOVT. BHANVAR .SINGH PORTE COLLEGE PENDRA	बी.कॉम	शासन से	80	40	120
		एम.कॉम.	शासन से	25	15	40
10	GOVT. M.M.R. P.G. COLLEGE CHAMPA	एम.कॉम.	शासन से	40	20	60
11	GOVT. COLLEGE BALRAMPUR	बी.ए.	शासन से	160	40	200
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	130	20	150
12	GOVT. VEER SURENDRA SAI P.G. COLLEGE. GARIABAND	बी.ए.	शासन से	250	50	300
		बी.कॉम	शासन से	80	20	100
		बी.एससी. (गणित समूह)	शासन से	60	30	90
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	40	100
		बी.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी)	शासन से	40	10	50
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	25	15	40
		एम.ए. समाजशास्त्र	शासन से	30	10	40
		एम.ए. हिन्दी	शासन से	25	15	40
		एम.ए. भूगोल	शासन से	25	15	40
13	K.M.T. GOVT. GIRLS COLLEGE RAIGARH C.G.	पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय मद	30	10	40
14	GOVT. NAVEEN COLLEGE BALODA	बी.ए.	शासन से	120	20	140
		पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय मद	40	10	50

15	GOVT. LATE CHANDU LAL CHANDRAKAR ARTS AND SCIENCE COLLEGE PATAN	बी.ए.	शासन से	300	40	340
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	120	30	150
		बी.कॉम	शासन से	90	30	120
		पी.जी.डी.सी.ए	स्ववित्तीय मद	45	15	60
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	स्ववित्तीय मद	20	10	30
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	स्ववित्तीय मद	20	10	30
		एम.एससी. प्राणीशास्त्र	स्ववित्तीय मद	25	5	30
		एम.एससी. गणित	शासन से	25	10	35
		एम.कॉम.	शासन से	20	20	40
		एम.ए. समाजशास्त्र	शासन से	35	15	50
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	35	15	50
		एम.एससी. भौतिकशास्त्र	शासन से	20	5	25
16	GOVT..ENGG VISHWESHVARAIYYA.P.G. COLLEGE KORBA	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	40	10	50
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	शासन से	30	10	40
		पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय मद	70	20	90
17	GOVT. MADAN LAL SHUKLA COLLEGE SIPAT	बी.ए.	शासन से	200	40	240
		पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय मद	40	20	60
18	GOVT. DR. BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR PG COLLEGE DONGERGAON	बी.कॉम	शासन से	100	25	125
		एम.एससी. गणित	शासन से	25	15	40
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	स्ववित्तीय मद	20	10	30
		एम.एससी. भौतिकशास्त्र	स्ववित्तीय मद	20	10	30
19	GOVT. NAVEEN COLLEGE MAINPUR	बी.ए.	शासन से	90	60	150
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	90	30	120
20	GOVT.. LAHIRI P.G COLLEGE CHIRMIRI	पी.जी.डी.सी.ए.	शासन से	30	10	40
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	शासन से	15	25	40
		एम.एससी. प्राणीशास्त्र	शासन से	15	25	40
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	शासन से	20	20	40
		बी.सी.ए.	शासन से	30	10	40
21	GOVT. AGRASEN COLLEGE BILHA	बी.कॉम	शासन से	80	40	120
		बी.एससी. (गणित समूह)	शासन से	25	35	60
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	55	30	85
22	GOVT. NAVEEN GIRLS COLLEGE BAIKUNTHPUR	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	150	30	180
23	GOVT. RAJMOHINI DEVI GIRLS PG COLLEGE AMBIKAPUR	बी.कॉम	शासन से	60	40	100
24	GOVERNMENT COLLEGE PREMNAGAR	बी.ए.	शासन से	60	40	100
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	40	100
25	GOVT. LATE DEVI PRASAD CHOUBEY COLLEGE SAJA	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	120	30	150
		बी.ए.	शासन से	200	50	250
		बी.कॉम	शासन से	70	30	100

26	DR. KHOOB CHAND. BAGHEL. GOVT., P.G. COLLEGE BHILAI	बी.एससी. (गणित समूह)	शासन से	90	10	100
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	100	10	110
		बी.कॉम	शासन से	355	20	375
		पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय मद	100	10	110
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	20	20	40
		एम.एससी. गणित	शासन से	20	10	30
27	GOVT. SHAHEED VENKATRAO COLLEGE BIJAPUR	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	50	100	150
		बी.ए.	शासन से	65	135	200
28	GOVT. RAJIV GANDHI COLLEGE SIMGA	बी.कॉम	शासन से	40	30	70
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	70	50	120
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	25	5	30
		एम.ए. हिन्दी	शासन से	20	10	30
29	GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWA	बी.ए.	शासन से	90	60	150
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	30	90
30	B.C.S. GOVT. PG COLLEGE DHAMTARI	एम.ए. भूगोल	शासन से	25	15	40
		एम.ए. अंग्रेजी	शासन से	20	20	40
		एम.एससी. (गृहविज्ञान)	शासन से	10	10	20
		एम.ए. समाजशास्त्र	शासन से	20	20	40
31	GOVT. DIGVIJAY PG COLEGE RAJNANDGAON	बी.ए.	शासन से	500	50	550
		बी.कॉम	शासन से	440	60	500
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	440	60	500
		बी.सी.ए.	शासन से	40	20	60
		डी.सी.ए.	शासन से	55	5	60
		एम.कॉम.	शासन से	80	20	100
		एम.एससी. (बायोटेक्नोलॉजी)	स्ववित्तीय मद	20	10	30
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	शासन से	20	10	30
		एम.एससी. (माइक्रोबायोलॉजी)	स्ववित्तीय मद	20	10	30
		एम.एससी. भौतिकशास्त्र	शासन से	20	10	30
		एम.एससी. प्राणीशास्त्र	शासन से	20	10	30
		PG Diploma in Yoga & Philosophy	स्ववित्तीय मद	25	25	50
32	LAKSHMAN PRASAD VAIDYA GOVERNMENT GIRLS COLLEGE BEMETARA C.G.	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	30	90
33	DR. RADHABAI BAI GOVT. NAVEEN GIRLS P.G.COLLEGE RAIPUR C.G.	बी.ए.	शासन से	100	50	150
		बी.एससी. (गणित समूह)	शासन से	50	20	70
		बी.कॉम	स्ववित्तीय मद	80	20	100
		पी.जी.डी.सी.ए.	स्ववित्तीय मद	50	20	70
34	ATALBIHARI VAJPAYEE GOVT COLLEGE PANDATARAI	बी.ए.	शासन से	140	20	160
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	120	20	140
		बी.कॉम	शासन से	60	20	80

35	GOVT. T.C. L. P.G. COLLEGE JANJIGIR	बी.ए.	शासन से	300	50	350
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	120	30	150
		बी.कॉम	शासन से	120	30	150
		एल.एल.बी. (विधि संकाय)	शासन से	220	40	260
		एल.एल.एम. (विधि संकाय)	स्ववित्तीय मद	20	10	30
		एम.कॉम.	शासन से	40	20	60
		एम.एससी. भौतिकशास्त्र	शासन से	35	10	45
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	स्ववित्तीय मद	20	10	30
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	शासन से	30	10	40
		एम.एससी. प्राणीशास्त्र	शासन से	35	15	50
		एम.एससी. गणित	स्ववित्तीय मद	35	15	50
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	शासन से	60	10	70
		एम.ए. समाजशास्त्र	शासन से	60	10	70
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	60	10	70
		बी.एससी. (कम्प्यूटर साईंस)	स्ववित्तीय मद	70	30	100
36	GOVT. J.M.P COLLEGE TAKHATPUR	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	20	10	30
		एम.ए. अर्थशास्त्र	जनभागीदारी मद	20	10	30
		एम.ए. समाजशास्त्र	जनभागीदारी मद	20	10	30
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	शासन से	20	10	30
		एम.ए. इतिहास	शासन से	20	10	30
37	GOVIND SARANG GOVT. LAW COLLEGE BHATAPARA	बी.ए. एल.एल.बी.	शासन से	60	40	100
38	GOVT. DANTESHWARI P.G COLLEGE DANTEWADA	बी.ए.	शासन से	235	85	320
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	220	50	270
		बी.एससी. (गणित समूह)	शासन से	40	30	70
		बी.एससी. (कम्प्यूटर साईंस)	शासन से	30	20	50
		बी.एससी. (सूचना प्रोद्यौगिकी)	शासन से	20	20	40
		एम.एससी. गणित	शासन से	20	10	30
		एम.एससी. भौतिकशास्त्र	शासन से	15	25	40
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	शासन से	20	20	40
		एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	जनभागीदारी मद	20	20	40
		एम.एससी. प्राणीशास्त्र	जनभागीदारी मद	20	20	40
39	GOVT. VISHWANATH YADAV TAMASKER P.G.ARTS SCIENCE COLLEGE DURG	PG Diploma In Yoga & Philosophy	स्ववित्तीय मद	20	20	40
40	GOVT. COLLEGE SILPHILI	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	20	80

41	GOVT. NAVEEN COLLEGE AMORA, DIST.. MUNGELI. C.G.	बी.ए.	शासन से	90	60	150
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	90	60	150
42	Lt. Pyarelal Kanwar Govt. College Bhaisma	बी.कॉम	शासन से	45	15	60
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	20	80
		एम.ए. समाजशास्त्र	शासन से	25	15	40
		एम.कॉम.	शासन से	25	15	40
		बी.ए.	शासन से	190	30	220
43	GOVT. COLLEGE KHERTHA	बी.ए.	शासन से	70	30	100
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	70	30	100
44	GOVT. DUDHADHARI SHRI RAJESHRI MAHANT VAISHANAV DAS PG SANSKRIT COLLEGE RAIPUR	पी.जी.डी.सी.ए.	शासन से	20	30	50
		PG Diploma in Yoga & Philosophy	शासन से	20	10	30
45	GOVT. COLLEGE BHATGAON	बी.ए.	शासन से	150	50	200
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	30	90
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	जनभागीदारी मद	20	15	35
		एम.ए. हिन्दी	जनभागीदारी मद	20	15	35
46	GOVT. NAVEEN COLLEGE MANGCHUWA	बी.ए.	शासन से	70	50	120
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	70	50	120
47	GOVT R.B.R.N.E.S.P.G. COLLEGE JASHPURNAGAR	बी.एससी. (गणित समूह)	शासन से	50	50	100
		बी.कॉम	शासन से	80	20	100
		पी.जी.डी.सी.ए.	जनभागीदारी मद	50	20	70
		एम.ए. अंग्रेजी साहित्य	शासन से	25	5	30
		एम.एससी. गणित	शासन से	30	10	40
		एम.कॉम.	शासन से	30	10	40
48	GOVT. COLLEGE GHARGHODA. DIST RAIGARH C.G	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	70	20	90
49	GOVT. D.R.S.PG COLLEGE KASDOL	बी.ए.	शासन से	150	50	200
		बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	50	50	100
		एम.ए. अंग्रेजी	शासन से	20	10	30
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	शासन से	20	10	30
		एम.एससी. प्राणीशास्त्र	शासन से	25	5	30
		एम.एससी. रसायनशास्त्र	शासन से	25	5	30
50	GOVT. SHAHID KAUSHAL YADAV COLLEGE GUNDERDEHI	बी.ए.	शासन से	150	50	200
		बी.एससी. (माइक्रोबायोलॉजी)	शासन से	90	30	120
		बी.कॉम	शासन से	90	30	120
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	25	15	40
		एम.ए. भूगोल	शासन से	25	15	40

51	GOVT. COLLEGE BILAIGARH	एम.ए. हिन्दी	जनभागीदारी मद	20	20	40
		एम.ए. समाजशास्त्र	जनभागीदारी मद	20	20	40
52	GOVT. KODURAM DALIT COLLEGE NAWAGARH	बी.एससी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	30	90
		एम.ए. राजनीतिशास्त्र	शासन से	20	20	40
		एम.ए. हिन्दी	शासन से	20	20	40
		एम.ए. समाजशास्त्र	जनभागीदारी मद	20	20	40

उक्त शासकीय महाविद्यालायों में निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत सीट वृद्धि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:–

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. प्राचार्य द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या अनुसार संबद्धता प्राप्त किया जावेगा।
5. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव **शैक्षणिक सत्र 2022–23** से प्रभावशील होगा।

संलग्न:– संदर्भानुसार

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला–रायपुर
— — 0 — —

क्रमांक एफ 3–31 / 2022 / 38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 / 09 / 2022

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
अटल नगर, जिला–रायपुर।

विषय :– मुख्य बजट 2022–23 मे 07 शासकीय महाविद्यालयों में विधि विषय के संचालन हेतु प्रावधानित 08 सहायक प्राध्यापक पदो की स्वीकृति।

संदर्भ :– आपका ज्ञापन क्र. 08 / 06 / आउशि / योजना / 2022–23, दि. 18 / 04 / 2022

राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नांकित 07 शासकीय महाविद्यालयों में विधि विषय के संचालक हेतु कुल 08 सहायक प्राध्यापक पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र.	मांग संख्या	शासकीय महाविद्यालय का नाम	पद की संख्या
1	44	शास. दाउ कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबजार–भाटापारा	1
2	44	बाबू छोटेलाल शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, जिला धमतरी	1
3	44	डॉ. घनश्याम सिंह गुप्त शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद, जिला बालोद	2
4	44	भानुप्रताप देव शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर, जिला कांकेर	1
5	44	शास. पालूराम धनानिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़, जिला रायगढ़	1
6	44	राजीवगांधी शास. स्नातकोत्तर महा. अंबिकापुर जिला सरगुजा	1
7	64	शास.टी.सी.एल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा	1
		कुल	8

2/ शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 01 से 06 के उक्त पदों का व्यय मांग सख्या–44–उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0101–राज्य आयोजना सामान्य–(103)–सरकारी कालेज और संस्थाये–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा तथा मांग संख्या–64–अनुसूचित जाति उपयोजना–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0103–अनुसूचित

शासकीय महाविद्यालय धमतरी

जातियों के लिये विशेष घटक योजना–(103)–सरकारी कालेज और संस्थायें–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अनुसूचित क्षेत्र उपयोजाना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

3/ यह सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ–2022–38–00231, दिनांक 06.09.2022 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

13/9..

(आर.एन.निर्मलकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

क्रमांक एफ 3–31/2022/38–1 अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 13/09/2022

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायुपर अटल नगर, जिला–रायपुर
2. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर।
3. जिला कोषालय अधिकारी, जिला – बलौदाबाजार/धमतरी/बालोद/कांकेर/रायगढ /सरगुजा/जांजगीर–चांपा(छ.ग.)
4. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा/दुर्ग (छ.ग.)
5. मान0 मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6. आदेश फोल्डर।

13/9..

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

शासकीय महाविद्यालय
क्रमांक (

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : rsuexam@gmail.com

क्र. 1016 / परीक्षा / प्रवेश / 2023

रायपुर, दिनांक 22 / 06 / 2023

// अधिसूचना //

राज्य शासन (उच्च शिक्षा विभाग),नवा रायपुर के आदेश क्रमांक 3950 / 1252 / आउशि / सम. / 2023 नवा रायपुर,अटल नगर,रायपुर दिनांक 01 / 06 / 2023 के तहत शैक्षणिक सत्र 2023–24 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एलएल.बी., एलएल.एल., बी.पी.एड., डिप्लोमा, पी.जी.डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए Online Portal दिनॉक 23 / 06/ 2023 से 25 / 07/ 2023 तक खोली गई है।

समस्त महाविद्यालयों को उनके महाविद्यालय के लिए आवेदित छात्र–छात्राओं की सूची प्रदान की जायेगी, महाविद्यालय प्राप्त सूची में पात्र छात्र / छात्राओं का गुणात्मक क्रम में मेरिट सूची तैयार कर छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2023–24 के लिए जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

ऑनलाईन प्रवेश हेतु तिथियों का विवरण निम्नानुसार है:–

प्रथम चरण में प्रवेश हेतु तिथि:–

1	महाविद्यालयों को सूची प्रदान करने की तिथि	05 / 07 /2023
2	महाविद्यालयों द्वारा विषयवार मेरिट सूची जारी किये जाने की तिथि	06/ 07 /2023
3	महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की तिथि	06 /07/2023 से 12/ 07 /2023 तक

द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु तिथि:–

1	महाविद्यालयों को सूची प्रदान करने की तिथि	12/ 07/ 2023
2	महाविद्यालयों द्वारा विषयवार मेरिट सूची जारी किये जाने की तिथि	13/ 07/ 2023
3	महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की तिथि	13 /07/ 2023 से 21/ 07 /2023 तक

तृतीय चरण में प्रवेश हेतु तिथि:–

1	महाविद्यालयों को सूची प्रदान करने की तिथि	21/ 07/ 2023
2	महाविद्यालयों द्वारा विषयवार मेरिट सूची जारी किये जाने की तिथि	22/ 07/ 2023
3	महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की तिथि	22 /07/ 2023 से 31/ 07 /2023

टीप:–

1. दिनांक 31.07.2023 को रिक्त स्थान सभी वर्गो के लिए खोल दिया जायेगा, जिसको महाविद्यालय के प्राचार्य नियमानुसार अपने स्तर पर पूर्ण करेंगे।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ऑनलाईन प्रवेश शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शन के अनुरूप होगा।
3. विश्वविद्यालय के लिखित अनुमति लिये बिना कोई भी महाविद्यालय ऑफलाईन प्रवेश प्रदान नही करेंगे।

आदेशानुसार,

22/6/23

कुलसचिव

Con..02

कार्यालय प्राचार्य
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
Website – www.bcspgcdmt.com
E-mail – pgcollege.dhamtari@gmail.com
AISHE CODE: C-21763
दूरभाष– 07722–238933
फैक्स – 07722–237933

दिनांक 18/07/2022

॥ प्रवेश समिति हेतु सूचना ॥

01. समस्त प्रवेश प्रभारी/सदस्य प्रवेश रजिस्टर में सभी प्रविष्ट सही अंकित करें। कोई भी कॉलम अपूर्ण न रहें।

02. प्रवेश समिति को उलपब्ध प्रपत्रों की आपूर्ति पश्चात् हस्ताक्षर सहित सभी जानकारी AQAR/SSR/AISHE के लिए उपलब्ध कराये। सभी को उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों में जानकारी सामान होना चाहिए।

03. प्रवेश समाप्ति पर प्रवेश रजिस्टर कार्यालय में जमा अवश्य करें एवं उसमें समिति प्रभारी/सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य हो। उपलब्ध समस्त प्रपत्रों की एक प्रति उसमें चस्पा अवश्य करें।

04. प्रवेश की अंतिम तिथि पर Seat Convert होने का रिकार्ड अवश्य सीट परिवर्तन पंजी में अवश्य अंकित करें तथा उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रवेश समन्वयक को उपलब्ध करावें।

05. प्रवेश प्रभारी प्रतिदिन की प्रवेश जानकारी संकाय प्रभारी को उपलब्ध कराये एवं संकाय प्रभारी उसे प्रतिदिन प्रवेश समन्वयक को हार्डकापी में समय सीमा पर 04 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

06. सभी प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष विभागीय शिक्षकों को उपस्थिति पंजी निर्माण के समय प्रवेश रजिस्टर से कम से कम 05 अधिकतम 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक जिन्हे अधिकतम /न्यूनतम अंक प्राप्त है उसे अंकित करके विषय/प्रश्नपत्र के धीमी एवं तीव्र गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान हेतु प्रयोग करें।

07. सभी संकाय प्रभारी प्रवेश समाप्ति पर प्रत्येक संकाय की कक्षाओं की प्रवेश की सम्पूर्ण जानकारी प्रवेश समन्वयक को अनिवार्यतः उपलब्ध कराये एवं उसकी एक प्रति अपने पास अवश्य रखें।

08. सभी कक्षाओं के प्रवेश प्रभारी सदस्यों के सहयोग से अध्यापन हेतु Whats app Group निर्माण कराये जिसमें निर्धारित तिथि पर अध्ययन प्रारंभ किया जा सकें।

09. सभी विभागाध्यक्ष प्राध्यापक स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर-चतुर्थ सेमेस्टर के Whatsapp Group को Delete नहीं करें एवं उसका उपयोग चतुर्थ सेमेस्टर/स्नातक अंतिम वर्ष के पश्चात् अध्ययन छोड़ने वाले विद्यार्थियों को एल्यूमिनी बनाने, एल्यूमिनी फीडबैक आपूर्ति, Student Pregression, (विद्यार्थियों के शासकीय/अशासकीय सेवा या अन्य व्यवसाय से जुड़ने की जानकारी हेतु एवं Student Upgradation हेतु किया जा सकें। सभी विभागाध्यक्ष विभागीय पंजी में इन चारों जानकारी को सत्रानुसार अंकित करें। सेवा में आने वाले विद्यार्थियों के सेवा आदेश की प्रति भी विभाग में अवश्य रखें जिसका उपयोग AQAR, SSR के समय किया जा सकें।

10. स्नातक/स्नातकोत्तर-प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रभारी प्रवेश रजिस्टर में एक कॉलम प्रवेशित विद्यार्थी के वर्ग (GEN, OBC, SC, ST, Other) अवश्य बनावे उसकी आपूर्ति करे, जिसमें आरक्षित श्रेणी में हुए प्रवेश की सही जानकारी सुनिश्चित हो सकें।

11. स्नातकोत्तर-प्रथम वर्ष के प्रवेश समिति प्रवेश रजिस्टर में एक कॉलम प्रवेशित विद्यार्थी Same Institute / Other Institute बनाये जिससे AQAR हेतु Student Pregression का रिकार्ड ज्ञात करने में सहायता मिलेगी।

12. सभी प्रवेश प्रभारी प्राप्त आवेदन का रिकार्ड एवं Demand Ratio का रिकार्ड अवश्य तैयार रखें।

13. सभी प्रवेश प्रभारी दिव्याग विद्यार्थियों की दिव्यांगता का प्रकार प्रतिशत, मोबाईल नं. एवं अन्य चाही गई जानकारी उपलब्ध प्रपत्र में अवश्य दें।

14. सभी विभागाध्यक्ष विभाग के प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों से उनके प्रतियोगी परीक्षा का प्रवेश पत्र अवश्य लें इसके लिये सूचना विभाग के Whats group में सत्रारम्भ से प्रेषित कर दें।

15. सभी प्रवेश प्रभारी प्रवेशित छात्र का ईमेल आई.डी. (स्वयं का) एवं मोबाईल नंबर अवश्य लें।

(डॉ.श्रीदेवी चौबे)
प्र.प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला-धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
Website – www.bcspgcdmt.in
E-mail – pgcollege.dhamtari@gmail.com
दूरभाष – 07722-238933
फैक्स – 07722-237933

NAAC GRADE-'B'

क्रमांक/500/प्रवेश/2022 धमतरी, दिनांक 20/06/2022

:: आदेश ::

सत्र 2022–23 के लिए निम्नानुसार प्रवेश समितियों का गठन किया जाता है। समितियों से अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश कार्य सम्पन्न करें :–

क्र.	कक्षाओं के नाम	–	प्राध्यापक/सहा.प्राध्यापक
प्रवेश समन्वयक–सभी संकाय एवं समस्त प्रवेश प्रकिया		–	**डॉ.अनिता राजपुरिया**
प्रवेश संकाय प्रभारी		–	**1. डॉ.मनदीप खालसा – कला संकाय 2. डॉ.ए.के.सिंह – विज्ञान संकाय 3. श्री अमर सिंह साहू – वाणिज्य संकाय 4. श्री दुर्गेश प्रसाद – विधि संकाय 5. सुश्री रश्मि कुजूर – आई.टी.संकाय**
1	बी.ए.भाग–एक	–	1. डॉ.ए.एस.साहू 2. डॉ.श्रीमती एच.ठाकुर 3. श्रीमती ग्रेस कुजूर 4. डॉ. तामेश्वरी 5. श्री के.पी.कोसिमा
2	बी.ए.भाग–दो	–	1. श्रीमती जयश्री पंचागम 2. श्रीमती वेदवती देवांगन 3. डॉ. सपना ताम्रकर
3	बी.ए.भाग–तीन	–	1. डॉ.चंद्रिका साहू 2. श्रीमती रीता लकरा 3. डॉ.सरला द्विवेदी
4	बी.कॉम.भाग–एक, दो एवं तीन	–	1. श्री अमर सिंह साहू 2. श्री निरजंन कुमार 3. श्री भीखम साहू 4. श्री अभिषेक मिश्रा
5	बी.एस.सी.भाग–एक, दो व तीन (बायो समूह)	–	1. श्री एन.एस.देहारी 2. कु. आकांक्षा कश्यप 3. कु. आकांक्षा मरकाम 4. डॉ.राकेश साहू 5. श्रीमती पल्लवी सेन
6	बी.एस.सी.भाग–एक, दो व तीन (गणित)	–	1. श्री किशोर चेलक 2. श्री गोविंद प्रसाद 3. श्री हरप्रीत सिंह आनंद
7	बी.एस.सी.भाग–एक, दो एवं तीन (आई.टी.)	–	1. सुश्री रश्मि कुजुर 2. डॉ. सीमा साहू
8	पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए.	–	1. श्री राजेश चौरसिया 2. डॉ.सीमा साहू
9	बी.सी.ए.भाग–एक दो एवं तीन	–	1. श्री भूपेन्द्र साहू
10	बी.एच.एस.सी.भाग–एक, दो एवं तीन (गृहविज्ञान)	–	1. श्रीमती रीता लकरा
11	विधि खण्ड–एक, दो एवं तीन	–	1. श्री दुर्गेश प्रसाद 2. श्री पंकज जैन

महाविद्यालय धमतरी

12	एम.ए.प्रथम एवं तृतीय सेम.(राजनीतिशास्त्र)	—	1. डॉ.प्रभा वेरूलकर 2. श्रीमती निशा तिवारी
13	एम.ए. प्रथम एवं तृतीय सेम. (अर्थशास्त्र)	—	1. डॉ.एम.खालसा 2. डॉ.तामेश्वरी साहू
14	एम.ए. प्रथम एवं तृतीय सेम. (भूगोल)	—	1. श्रीमती ग्रेस कुजूर 2. श्री दिनेश्वर सलाम
15	एम.ए. प्रथम एवं तृतीय सेम. (इतिहास)	—	1. डॉ.रोशन आरा
16	एम.ए. प्रथम एवं तृतीय सेम. (हिन्दी)	—	1. डॉ.चंद्रिका साहू 2. श्री खेदूराम भारती
17	एम.ए. प्रथम एवं तृतीय सेम.(समाजशास्त्र)	—	1. डॉ. अनिता राजपुरिया
18	एम.ए. प्रथम एवं तृतीय सेम.(अंग्रेजी)	—	1. प्रो. पी.सी.चौधरी 2. श्रीमती पल्लवी सेन
18	ए म.एस.सी. प्रथम एवं तृतीय सेम. (गणित)	—	1. श्री किशोर चेलक 2. श्री भूपेन्द्र साहू
19	एम.एस.सी. प्रथम एवं तृतीय सेम. (रसायन)	—	1. श्री अमित कुमार साहू
20	एम.एस.सी. प्रथम एवं तृतीय सेम. (मानव विकास) गृहविज्ञान	—	1. श्रीमती सरोज प्रसाद
21	एम.कॉम. प्रथम एवं तृतीय सेम.	—	1.श्री निरंजन कुमार 2.श्री अभिषेक मिश्रा
22	एम.एस.सी.–जुलॉजी	—	1. श्री गोविन्द प्रसाद 2. श्री खेदूराम भारती
22	एम.एस.सी.–बॉटनी	—	श्री एन.एस.देहारी कु. आकाक्षां कश्यप
23	एम.एस.सी.–फिजिक्स	—	1. श्री किशोर चेलक 2. डॉ. प्रेमनाथ भारती
24	एम.एस.सी.–आई.टी.	—	1. सुश्री रश्मि कुजुर 2. डॉ. सीमा साहू

नोट :— आवश्यकतानुसार समिति में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है जिसकी सूचना सबंधित को जावेगी।

(डॉ.श्रीदेवी चौबे)
प्र.प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 501 / प्रवेश / 2022

धमतरी, दिनांक 20 / 06 / 202

प्रतिलिपिः–

01. संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
02. राजिस्ट्रार, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी को सूचनार्थ।
03. प्राचार्य फोल्डर हेतु।

(डॉ.श्रीदेवी चौबे)
प्र.प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग.)

बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)

Seat Distribution (Year 2022-23)

Class	ST 32%	SC 12%	OBC 14%	FF 3%	PWD 5%	GEN 34%	TOTAL
B.A-I	106 (32)	40 (12)	46 (14)	10 (3)	16 (5)	112 (33)	**330 (99)**
B.SC-I (BIO)	96 (29)	36 (11)	42 (12)	9 (3)	15 (5)	102 (30)	**300 (90)**
B.SC-I (MATHS)	48 (14)	18 (6)	21 (6)	4 (1)	8 (2)	51 (16)	**150 (45)**
B.SC-I (I.T.)	25 (8)	10 (3)	11 (3)	2 (1)	4 (1)	28 (8)	**80 (24)**
B.SC (H. Sc.)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
B.COM-I	80 (24)	30 (9)	35 (11)	8 (2)	12 (4)	85 (25)	**250 (75)**
B.COM-I (COMPUTER)	19 (6)	7 (2)	9 (3)	2 (0)	3 (1)	20 (6)	**60 (18)**
LL.B-I	25 (8)	10 (3)	11 (3)	2 (1)	4 (1)	28 (8)	**80 (24)**
BCA-I	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A. (HINDI)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A. (POL.SC.)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A. (ECONOMICS)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A.(GEOGRAPHY)	8 (3)	3 (1)	3 (1)	1 (0)	1 (0)	9 (3)	**25 (8)**
M.A. (HISTORY)	10 (3)	4 (1)	4 (1)	1 (0)	1 (0)	10 (4)	**30 (9)**
M.SC. (CHEMISTRY)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.SC. (MATHS)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.SC. (Physics)	10 (3)	4 (1)	4 (1)	1 (0)	1 (0)	10 (4)	**30 (9)**
M.SC. (Zoology)	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.SC. (IT)	10 (3)	4 (1)	4 (1)	1 (0)	1 (0)	10 (4)	**30 (9)**
M.SC.(HOME SC.)	3	1	2	0	1	3	**10**
M.COM	16 (5)	6 (2)	7 (2)	1 (0)	3 (1)	17 (5)	**50 (15)**
PGDCA	32 (9)	12 (4)	14 (4)	3 (1)	5 (2)	34 (10)	**100 (30)**
DCA	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**
M.A-English	6 (2)	2 (1)	3 (1)	1 (0)	1 (0)	7 (2)	**20 (6)**
M.A-Sociology	6 (2)	2 (1)	3 (1)	1 (0)	1 (0)	7 (2)	**20 (6)**
M.Sc-Botany	13 (4)	5 (1)	6 (2)	1 (0)	2 (1)	13 (4)	**40 (12)**

टीप :- कोष्टक में प्रदर्शित अंक आंतरिक महिला आरक्षण की संख्या है।

(डॉ.श्रीदेवी चौबे)
प्र.प्राचार्य
बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
धमतरी (छ.ग.)